STATE OF ILLINOIS

EXECUTIVE DEPARTMENT

SPRINGFIELD, ILLINOIS

मार्च 23, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-11

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश

(COVID-19 कार्यकारी आदेश संख्या 9)

चूँकि, मैं जेबी प्रित्जकर (JB Pritzker), ने इलिनोइस के गवर्नर, के प्राधिकार से कोरोना वायरस बीमारी 2019 (COVID-19) के प्रकोप के प्रतिक्रिया स्वरूप 9 मार्च 2020 (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) को राज्य की सभी काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित किया है; और,

चूँकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनोइस में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; तथा,

चूँकि, पूरे इलिनोइस राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा

जहां, मैंने COVID-19 प्रकोप के बारे मे बताने के लिए कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, और इनमें से कुछ के निहित तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उनमें मामूली संशोधनों की जरूरत है;

जहां, इलिनोइस सुधार विभाग ((IDOC) की वर्तमान में 28 आवासीय व सुविधा क्षेत्रों में 38,000 से अधिक पुरुष और महिला निवासियों की आबादी है, इनमें से अधिकांश लोगों, उनकी निकटता और आवास और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने कारण वे COVID-19 के संक्रमण और प्रसार होने की दृष्टि विशेष रूप से असुरक्षित हैं; तथा

जहाँ, COVID-19 की जांच हेतु किए गए परीक्षण में रोग-लक्षण जिनमें सकारात्मक (positive) पाए गए, उन्हें अन्य लोगों से अलग रखने की व्यवस्था और अस्पताल में अलग कमरे की सुविधा मुहैया कराने की क्षमता सीमित है; तथा

जहाँ, यूनिफाइड कोड ऑफ करेक्शंस, 730 ILCS 5 / 3-6-3 (a) (3), का अनुपालन कराने के लिए, IDOC के निदेशक द्वारा "आने वाले 180 दिनों में विशिष्ट उदाहरणों के साथ विशिष्ट परिस्थिति मे अच्छी तरह काम करने पर उन्हें मिले क्रेडिट के लिए पुरस्कृत किया सकता हैं" जैसा भी निदेशक उचित मानते हैं" और पात्र व्यक्तियों

का चयन निदेशक की एकल विवेक या उनके द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुकूल क्रेडिट प्राप्त करने पर किया जा सकता है।"

जहां, IDOC को OVID-19 से बचाव के लिए तैयारी और त्वरित कार्रवाई हेतु अपना काम तत्काल और अपरिहार्य रूप से जारी रखनी चाहिए और इस प्रयास के तहत, निदेशक को यूनिफाइड कोड ऑफ करेक्शंस द्वारा प्रदान किए गए विवेकाधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे कानूनी तौर पर जारी किया जा सकता है, जो किसी भी समुदाय के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करते; तथा

इसलिए, इलिनोइस राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) एवं लोक स्वास्थ्य कानूनों के अनुसार, मैं इसके लिए निम्नलिखित आदेश देता हूँ।

धारा 1. कार्यकारी आदेश 2020-10, धारा 1, अनुच्छेद 8 और 18 को इस प्रकार संशोधित किए गए हैं:

8. **मानव सेवा अभियान।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति किसी भी मानव सेवा के अभियान के लिए काम करने या सेवा-लाभ प्राप्त करने के लिए अपना निवास स्थान छोड़ सकते हैं, जिसमें इलिनोइस के मानव सेवा विभाग, बच्चों और इलिनोइस के बाल एवं परिवार सेवा विभाग या राज्य द्वारा संचालित, संस्थागत, या समुदाय-आधारित आम-नागरिक को मानव सेवा प्रदान करने वाली सुविधा-संगठन समेत आम-नागरिक को सेवा प्रदान करने वाली मेडिकैड द्वारा वित्त पोषित कोई भी प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं।

मानव सेवा अभियान में शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है: दीर्घकालिक देखभाल सुविधाएं; बाल देखभाल अधिनियम, 225 ILCS 10 के अंतर्गत डे केयर सेंटर, डे केयर होम और ग्रुप डे केयर होम जैसी लाइसेंस प्राप्त एवं उनका अनुपालन करने वाली सभी संस्थाएं, को छोड़कर; ~~, और~~ इस कार्यकारी आदेश की धारा 1, अनुच्छेद 12 (अन्य) में निर्दिष्ट किए गए डे केयर सेंटर; इलिनोइस प्रशासनिक संहिता के शीर्षक 89 के तहत धारा 377.3(a)(1)-(a)(4), (b)(2), and (c) से लाइसेंस प्राप्त डे प्रोगाम को छूट; इलिनोइस प्रशासनिक संहिता के शीर्षक 89 के अंतर्गत धारा 377.3(d) द्वारा लाइसेंस प्राप्त डे प्रोगाम को को छूट मिलती है (इस कार्यकारी आदेश के अनुच्छेद 12, धारा 1 में निर्धारित डे केयर होम को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन); जो आवासीय सुविधा और आश्रयों के लिए वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों, और/या, विकासात्मक विकलांगता से ग्रस्त लोगों, बौद्धिक अक्षमताओं, पदार्थों के उपयोग के विकार और / या मानसिक बीमारी; संक्रमणकालीन सुविधाएं; शारीरिक, बौद्धिक और / या विकासात्मक विकलांग, वरिष्ठ, वयस्कों और बच्चों के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए घर-आधारित सुविधाएं; क्षेत्र के कार्यालय जो भोजन, नकद सहायता, चिकित्सा कवरेज, बाल देखभाल, व्यावसायिक सेवाओं, पुनर्वास सेवाओं सहित बुनियादी जरूरतों के लिए पात्रता निर्धारित करने में मदद करते हैं; विकास केंद्र; गोद लेने वाली एजेंसियां; ऐसे व्यवसाय जो आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों, शारीरिक, बौद्धिक और / या विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों, या अन्यथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन, आश्रय और सामाजिक सेवाएं और जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते हैं।

व्यापक रूप से परिभाषित मानव सेवाओं के कार्यान्वयन को किसी भी प्रकार के प्रभाव से बचाए रखने के लिए मानव सेवा अभियान की संरचना व्यापक स्तर व सूक्ष्म स्तर पर की जाएगी।

18. इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी ~~रोक लगाई~~ जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।

धारा 2: कार्यकारी आदेश 2020-10, अनुच्छेद 12 (अन्य), धारा 1 में किए गए संशोधन इस प्रकार है:

s. **इस आदेश द्वारा डे केयर सेंटर के कर्मचारियों को छूट प्राप्त है।** डे केयर सेंटरों ने इलिनोइस प्रशासनित कोड के शीर्षक 89, के अंतर्गत धारा ~~407.400~~ 407.500 के अनुसार एक आपातकालीन लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी, इस आदेश द्वारा छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए आपातकालीन डे केयर प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए अनुमति दी। चाइल्ड केयर अधिनियम की धारा 4, 225 ILCS 10/4 के अनुसार, डे केयर होम चलाने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है, गवर्नर की आपदा अधिसूचना (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि दौरान 6 बच्चों तक की देखभाल करने वाले यहां के फैमली होम के संचालन को स्थगित कर दिया गया है।

धारा 3: कार्यकारी आदेश 2020-05, धारा 3 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

इलिनोइस में जिलों के स्कूल को इलेक्ट्रॉनिक-लर्निंग (ई-लर्निंग) के उपयोग के लिए प्रोग्राम बनाने और बनाए रखने से पहले अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 105 ILCS 5/10-20.56(b) के अनुपालन की आवश्यकता होती है, इसे गवर्नर की आपदा अधिसूवना (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) के प्रभावी अवधि के दौरान स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस कार्यकारी आदेश के अनुपालन में कार्यान्वित किसी भी ई-लर्निंग प्रोग्राम को 105 ILCS 5 / 10-20.56 (c) या शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों को प्रोटोकॉल हेतू संवाद करने की आवश्यक जनसहभागिता 105 ILCS 5 / 10-20.56 (d) (10) के लागू होने से 30 दिनों तक या उससे पहले नहीं की जानी है। हालांकि, इस कार्यकारी आदेश के अनुसार अपनाए गए किसी भी ई-लर्निंग कार्यक्रम को जिला के स्कूल के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय या मध्यवर्ती सेवा केंद्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं को पूरी रही है या नहीं, जिसमें छात्र की विशेष शिक्षा और अंग्रेजी सीखने वाले शामिल हैं, जैसा कि 105 ILCS 5 / 10-20.56 (b) के तहत आवश्यक है। क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय और मध्यवर्ती सेवा केंद्रों के 105 ILCS 5/10-19.05 तहत 5 घड़ी घंटे के समय-सारणी के आधार पर आवश्यक शिक्षा या स्कूल के काम करने पर ई-लर्निंग प्लान की मंजूरी देने से तब तक मना नहीं करते हैं, जब तक कि के क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय या मध्यवर्ती सेवा केंद्र यह निर्धारित करते हैं कि 105 ILCS 10-20.56 (d) (1) के लागू होने बावजूद पर ई-लर्निंग

प्लान छात्र को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इस कार्यकारी आदेश के अनुसार अपनाए गए ई-लर्निंग प्रोग्राम स्वीकृत स्कूल कैलेंडर में आपातकालीन दिनों की संख्या 105 ILCS 5 / 10-20.56 (b) से अधिक हो सकते हैं।

धारा 4: इसे गवर्नर की आपदा अधिसूचना (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, यूनिफाइड कोड ऑफ करेक्शंस, 730 ILCS 5 / 3-6-3 (a) (5), के प्रावधान के तहत सुधार करने के लिए सुधार विभाग को कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना पर संशोधन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के अटॉर्नी के अच्छी तरह कार्य-संचालन के परिणामस्वरूप मिले क्रेडिट पर उन्हें क्षेत्र के निवासियों को बाहर निकलने की अनुमिति देने की पूर्व-तारीख मिलती है, जिस पर रोक लगी थी। कानून के इस प्रावधान के अनुसार बाहर निकलने के किसी भी निर्देश के संबंध में, सुधार विभाग राज्य के अटॉर्नी (ओं) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने कहेगा कि लोगों को अग्रिम में या जितनी जल्दी हो सके अधिसूचित किया जाए।

जेबी प्रित्जकर, गवर्नर (JB Pritzker, Governor)

23 मार्च, 2020 को गवर्नर द्वारा जारी
23 मार्च, 2020 को राज्य के सचिव द्वारा दर्ज